

कार्यालय— निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक/वरिष्ठता/1422 /19(2)-03/2018-19 दिनांक: 18 अगस्त 2018

प्रेस विज्ञप्ति

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/अन्य संस्थाओं के स0अ0 एल0टी0/प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका की दिव्यांगता की सूचना निदेशालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-196 दिनांक 25-03-2011 के अनुसार उपलब्ध नहीं है। उक्त सूचना की तत्काल नितान्त आवश्यकता है, सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रपत्र "क" "ख" एवं "ग" तैयार कर निदेशालय की वेबसाइट www.schooleducation.uk.gov.in पर प्रचारित किये जा रहे हैं।

अतः उक्त के दृष्टिगत समस्त संस्थाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त निर्धारित प्रारूप पर सूचना तैयार कर विज्ञप्ति प्रकाशन के 03 दिन के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में सम्बन्धित विकास खण्ड के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी संकलित सूचना तैयार कर अगले 02 दिन के अन्तर्गत सूचना निर्धारित प्रारूप पर सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जनपद की संकलित सूचना तैयार कर अगले 02 दिन के अन्तर्गत संबन्धित मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा को उपलब्ध करायेंगे तथा मण्डलीय कार्यालय द्वारा प्रत्येक दशा में उक्त संकलित सूचना निर्धारित प्रपत्र पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को अनिवार्यतः 02 दिन के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

सम्बन्धित समस्त स0अ0एल0टी0/प्रवक्ता/प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका यह भली भांति सुनिश्चित हो लें सम्बन्धित संस्था द्वारा उनके दिव्यांगता की निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रेषित कर दी गयी है, अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं भी इस हेतु उत्तरदायी होंगे, जो तदर्थ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं उनकी सूचना एल0टी0 संवर्ग में उपलब्ध करायी जानी है।

आर0के0 उनियाल

अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ0सं0/ वरिष्ठता/ 1422 /19(2)-03/2018-19 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:— सम्पादक, अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति आप दिनांक 19-08-2018 के अपने दैनिक समाचार (हिन्दी) के उत्तराखण्ड संस्करण में डी0ए0वी0पी0 दरों पर 10x8 वर्ग से0मी0 में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा भुगतान हेतु बिल निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(आर0के0 उनियाल)

अपर निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

प्रपत्र "क"

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांग स0अ0एल0टी0 के शिक्षक/शिक्षिका जो विद्यालयों में अथवा अन्यत्र कार्यरत हैं (जो शिक्षक/शिक्षिका वर्तमान में तदर्थ प्रवक्ता के पद पर तैनात हैं उनकी सूचना स0अ0एल0टी0 संवर्ग में दी जानी है, तदर्थ प्रवक्ता का उल्लेख अभ्युक्ति के कॉलम में अंकित किया जाय):--

क्र0सं0	शिक्षक / शिक्षिका का नाम	जाति जाति (SC/ST/OBC/GEN.)	स0अ0एल0टी0 वरिष्ठता क्रमांक	विद्यालय का नाम विकासखण्ड व जनपद सहित	विषय (जिस विषय के शिक्षक हैं उल्लेख करें)	शाखा (सामान्य/महिला)	जन्मतिथि	स्नातकोत्तर स्तर के विषय का नाम	एल0टी0 संवर्ग में नियुक्ति का स्रोत (सीधी भर्ती/विनियमितीकरण/प्रान्तीयकरण/पदोन्नति/समायोजन)	एल0टी0 संवर्ग में सीधी भर्ती/विनियमितीकरण/प्रान्तीयकरण/पदोन्नति/समायोजन आदेश संख्या एवं दिनांक	दिव्यांगता की श्रेणी			अभ्युक्ति
											दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (P.B./B.)	श्रवण ह्रास (P.D./D.)	चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिकीय अघात (O.A./O.L./B.L./M.W.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

नोट (दिव्यांगता की श्रेणी के सम्मुख यथा दिव्यांगता की उप श्रेणी P.B., B., P.D., D., O.A., O.L., B.L., B.W. जो लागू हो स्पष्ट रूप से अंकित करें):--

1- दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

P.B. - आंशिक दृष्टिहीन

B. - दृष्टिहीन

2- श्रवण ह्रास

P.D. - आंशिक बधिर

D. - बधिर

3- चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिकीय अघात

O.A. - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)

O.L. - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)

B.L. - दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं

M.W. - मांशपेशी की कमजोरी तथा सीमित शारीरिक सहनशक्ति

प्रपत्र "ख"

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांग प्रवक्ता संवर्ग के शिक्षक/शिक्षिका जो विद्यालयों में अथवा अन्यत्र कार्यरत हैं :-

क्र०सं०	शिक्षक / शिक्षिका का नाम	जाति (SC/ ST/ OBC/ GEN.)	प्रवक्ता वरिष्ठता क्रमांक	विद्यालय का नाम विकासखण्ड व जनपद सहित	विषय (जिस विषय के प्रवक्ता हैं उल्लेख करें)	शाखा (सामान्य /महिला)	जन्मतिथि	प्रवक्ता संवर्ग में नियुक्ति का स्रोत (सीधी भर्ती/ विनियमितीकरण/ प्राप्तीयकरण/ पदोन्नति)	प्रवक्ता संवर्ग में सीधी भर्ती / विनियमितीकरण / प्राप्तीयकरण / पदोन्नति आदेश संख्या एवं दिनांक	दिव्यांगता की श्रेणी			अभ्युक्ति
										दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (P.B./B.)	श्रवण हास (P.D./D.)	चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्त्ता या प्रमस्तिकीय अघात (O.A./O.L.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

नोट (दिव्यांगता की श्रेणी के सम्मुख यथा दिव्यांगता की उप श्रेणी P.B., B., P.D., D., O.A., O.L. जो लागू हो स्पष्ट रूप से अंकित करें):-

1- दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

P.B. - आंशिक दृष्टिहीन

B. - दृष्टिहीन

2- श्रवण ह्रास

P.D. - आंशिक बधिर

D. - बधिर

3- चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्ता या प्रमस्तिकीय अंघात

O.A. - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)

O.L. - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)

प्रपत्र "ग"

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 40 प्रतिशत अथवा इससे अधिक दिव्यांग प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका जो विद्यालयों में अथवा अन्यत्र कार्यरत हैं :-

क्र०सं०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	जाति (SC/ST/OBC/GEN.)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका वरिष्ठता क्रमांक	विद्यालय का नाम विकासखण्ड व जनपद सहित	शाखा (सामान्य/महिला)	जन्मतिथि	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका संवर्ग में नियुक्ति का स्रोत (प्राप्तियकरण/पदोन्नति)	प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका संवर्ग में प्राप्तीयकरण/पदोन्नति आदेश संख्या एवं दिनांक	दिव्यांगता की श्रेणी			अभ्युक्ति
									दृष्टिहीनता या कम दृष्टि (P.B./B.)	श्रवण ह्रास (P.D./D.)	चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिकीय अंघात (O.A./O.L.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

नोट (दिव्यांगता की श्रेणी के सम्मुख यथा दिव्यांगता की उप श्रेणी P.B., B., P.D., D., O.A., O.L. जो लागू हो स्पष्ट रूप से अंकित करें):-

1- दृष्टिहीनता या कम दृष्टि

P.B. - आंशिक दृष्टिहीन

B. - दृष्टिहीन

2- श्रवण ह्रास

P.D. - आंशिक बधिर

D. - बधिर

3- चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तता या प्रमस्तिकीय अंघात

O.A. - एक हाथ प्रभावित (दायां या बायां)

O.L. - एक पैर प्रभावित (दायां या बायां)